न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0:-682/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या :-234/2020

18.01.2021 कारधीन अभियुक्त संजय यादव की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । सूचक की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र तथा उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदक के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 353 भा0दं0सं0 को छोड़ कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा वाद को अजमानतीय बनाने हेतु लगाया गया है । उभय पक्ष के बीच सुलह हो गया है तथा इस जमानत आवेदन के साथ उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है । आवेदक दिनांकः-12.01.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है । ग्रामीण राजनीति के कारण आवेदक का नाम इस वाद में आया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 341, 323 एवं 353 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उभय पक्ष में संधि हो गई है । संयुक्त संधि आवेदन अभिलेख पर दाखिल है । उपरोक्त धाराओं में धारा 353 भा0दं0सं0 को छोड़ कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा इस चरण में अलंकृत प्रतीत होता है । आवेदक दिनांकः-12.01.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं संधि के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त को मो0-5000x2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।